निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 138/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

रविन्द्र कुमार पुत्र देशराज, निवासी ग्राम–पो0 बसई तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड।

......अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़।

......प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 15.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा (अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़) को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड ने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/397 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 28.03.2025 को आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया था इसके पश्चात तीन दिन राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 05.04.2025 को सूचना अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ से सम्बंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड को प्रेषित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः अपील की कार्यवाही ड्रॉप करने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. प्रत्यर्थी को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को अन्तरित जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा लोकहित में अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र में वांछित सूचना अपीलार्थी को अविलम्ब निःशुल्क पंजिकृत पत्र से उपलब्ध कराई जावे, संबंधित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष के साथ–साथ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ को भी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर),
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़